राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1855/2010/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स केडबरी इण्डिया लिमिटेड,
सेठी कॉलोनी, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता। .....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 217/आरएसटी/2000–2001/जयपुर में पारित आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2000 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत कुल मांग राशि रूपये 1,70,826/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी का सर्वेक्षण दिनांक 09.11.2000 को किये जाने पर पाया कि व्यवसायी द्वारा गोलम सोफ्ट जेली सिरप का विक्रय 8 प्रतिशत की दर से बिक्री कर चुकाया जाकर किया जा रहा है जो कि अधिसूचना की प्रविष्टि संख्या 106 में वर्णित बिस्कुट तथा कन्फेक्शनरी की श्रेणी में नहीं आकर प्रविष्टि संख्या 179 के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 16 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत कर चुकाये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का दोषी मनोभाव एवं करापवंचन मानकर अंतर कर रूपये 48,229/–, सरचार्ज रूपये 7,234/–, ब्याज रूपये 4,437/– तथा शास्ति रूपये 1,10,926/– कुल मांग राशि रूपये 1,70,826/– आरोपण कर दिया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस के दौरान

लगातार.....2

कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा गोलम सोफ्ट जेली सीरप का विक्रय 8 प्रतिशत कर दर किया गया, जो कि अधिनियम की प्रविष्टि संख्या 179 में आने से 16 प्रतिशत की कर दर से करं योग्य है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गोलम सोफ्ट जेली की बिक्री की गई, जो कि बिस्कुट एवं कन्फेक्शनरी की श्रेणी में आने से 8 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य थी। परन्तु सशक्त अधिकारी ने इसे "All kind of eatables, Drink Concerntrates of all Types & forms" की श्रेणी में मानते हुए इस पर 16 प्रतिशत से कर देयता निर्धारित करके मांग राशि का आरोपण कर दिया। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश में धारा 28 के तहत पारित आदेश को सम्मिलित नहीं किया गया, अतः उक्त कर निर्धारण आदेश निष्प्रभावी हो जाता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर बनाम राजस्थान इण्डस्ट्रीज एस.बी.सिविल रिट नं. 36/2008 निर्णय दिनांक 21.05.2008 तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम् राजस्थान टेक्सेसन ट्रिब्यूनल, जोधपुर एवं अन्य एसटीसी–वोल्यूम–124 पेज 298 निर्णय दिनांक 24.10.2000** के उद्धरण प्रस्तुत किये। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि आलौच्य अवधि वर्ष 2000–01 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गोलम सोफ्ट जेली की बिक्री 8 प्रतिशत की कर दर से की गई। परन्तु सशक्त अधिकारी ने गोलम सोफ्ट जेली की बिक्री को 16 प्रतिशत की कर दर से बिक्री योग्य मानते हुए अधिनियम की धारा 29(7) के तहत् कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.01.2003 पारित कर दिया, जिसमें अधिनियम की धारा 28 के तहत पारित अस्थायी कर निर्धारण आदेश को सम्मिलित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टांत **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर बनाम राजस्थान इण्डस्ट्रीज एस.बी.सिविल रिट नं. 36/2008 निर्णय दिनांक 21.05.2008 तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम् राजस्थान टेक्सेसन ट्रिब्यूनल, जोधपुर एवं अन्य एसटीसी–वोल्यूम–124 पेज 298 निर्णय दिनांक 24.10.2000** के आलौक में कर निर्धारण आदेश निष्प्रभावी हो जाता है।

7. इस प्रकार इस एकलपीठ के समक्ष अपील में कोई नया बिन्दु नहीं आने से. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2010 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य